समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R. 558-15/13

1. महिला मल्लो पत्नि कालीचरण
2. रामरति पत्नि हरिश्चन्द
3. महिला सम्पत पत्नि राजू उर्फ राजेन्द्र राय
   सभी निवासी– ग्राम पुरैनिया तहसील
   पलेरा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.) .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. रामदास तनय जगन सौंर
   निवासी–ग्राम बुजुर्ग तहसील
   पलेरा जिला टीकमगढ (म.प्र.) .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक. 72/पुनविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पारित आदेश के प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज थी जो भू.रा.संहिता की धारा–165 के तहत प्रतिबंधित होने से उसने श्रीमान् तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ से वर्ष 2010 में भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त कर विधिवत् शासन की गाइड लाइन के अनुसार पूरा प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करे आवेदक को विक्रय की जिसने (क्रेतापक्ष) अधिपत्य प्राप्त कर विधिवत् राजस्व नामांतरण कराया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रथम पक्ष (अनावेदक) की आपत्ति के प्रश्नाधीन आदेश को वैद्य न मानते हुए श्रीमान् न्यायालय से पुनः अवलोकन की अनुमति लेकर पुनः सुनवाई में तत्कालीन

(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-558-दो/2013 जिला टीकमगढ़ मल्लो विरूद्ध रामदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिलीप गोस्वामी उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 72/पुर्नविलोकन/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-02-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

4.1.19

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 4.1.19